

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान 06अन्तर्राष्ट्रीय बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा मे नाजायज असलाह व कारतूस तथा 02 कार सहित बरामद :- दिनांक-07/05/2019 को चैकिंग के दौरान थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा 02 गाडियों मे संन्दिग्ध बदमाशो को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ जबाबी फायरिंग के दौरान 02 बदमाश 1.रविदत्ता पुत्र ठाकुर दास नि0-नजफगढ दिल्ली, 2.शहनवाज पुत्र नूरुद्दीन नि0-रसूलपुर ओरगांवाद थाना बहावनपुर जिला मेरठ घायल हो गये जिन्हे उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लोनी भेजा गया तथा 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 03 पिस्टल 32 बोर मय 09 जिन्दा व 04 खोका कारतूस 32 बोर एवं 03 तमचां मय 08 जिन्दा व 03 खोका कारतूस 315 बोर व घटना मे प्रयुक्त 02 कारे बरामद हुई है। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके सम्बन्ध मे आसपास के राज्यो से भी आपराधिक घटनाओ की जानकारी की जा रही है। अन्य विवरण निम्नवत है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

- 1- रवी दत्ता पुत्र ठाकुरदास नि0 नजफगढ थाना नजफगढ दिल्ली (घायल)
- 2- शाहनवाज पुत्र नूरुद्दीन नि0 रसूलपुर ओरंगावाद थाना भावनपुर मेरठ (घायल)
- 3-निगम खारी पुत्र राजपाल नि0 खानपुर थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद
- 4-रविन्द्र पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम भोला सतवई थाना जानी मेरठ हाल- म0न0 408 सरिता विहार थाना लोनी गा0वाद
- 5-जान मोहम्मद पुत्र वसीम नि0 ग्रम सराय रसूलपुर थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर
- 6-अशरफ पुत्र युसुफ नि0 मो0 सलेमपुर रोड सिकन्दावाद हाल- शहनवाज का डेरी हकीकतपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0वाद

बरामदगी का विवरण-

- 1- 03 पिस्टल 32 बोर मय 09 जिन्दा व 04 खोखा कारतूस
2. 03 तमंचे 315 बोर मय 08 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त 02 कार

आपराधिक इतिहास

- 1- रवी दत्ता पुत्र ठाकुरदास नि0 नजफगढ थाना नजफगढ दिल्ली (घायल)

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनिकासिटी गा0वाद

2. मु0अ0सं0 299/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
3. एफ आई आर न0 116/17 धारा 25 ए एक्ट व 411 भादवि थाना क्राईम ब्रान्च दिल्ली
4. एफ आई आर न0 255/17 धारा 395/397/34 भादवि थाना मयूर विहार दिल्ली
5. एफ आई आर न0 512/13 धारा 307/34 भादवि व 25/27/54/59 ए एक्ट दिल्ली
6. एफ आई आर न0 21/11 धारा 365/323/380/34 भादवि थाना विन्दापुर दिल्ली
7. एफ आई आर न0 21/14 धारा 302 भादवि थाना सूरजपुर जनपद नोयडा

2- शाहनवाज पुत्र नुरुद्दीन नि0 रसूलपुर औरंगाबाद थाना भावनपुर मेरठ (घायल)

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 298/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
3. एफ आई आर न0-335/19 धारा 147/148/149/307/452/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ

3-निगम खारी पुत्र राजपाल नि0 खानपुर थाना ट्रोमिकासिटी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 296/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद

4-रविन्द्र पुत्र हरपाल सिंह नि0 ग्राम भोला सतवई थाना जानी मेरठ हास म0न0 408 सरिता विहार थाना लोनी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 295/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद

5-जान मोहम्मद पुत्र वसीम नि0 ग्राम सराय रसूलपुर थाना मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 297/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
3. मु0अ0सं0 335/19 धारा 147/148/148/307/452/506 भादवि थाना सरधना जनपद मेरठ

6-अशरफ पुत्र युसुफ नि0 मो0 सलेमपुर रोड सिकन्द्राबाद हाल शहनवाज का डेरी हकीकतपुर थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद

1. मु0अ0सं0 294/19 धारा 307 भादवि पु0मु0 थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद
2. मु0अ0सं0 300/19 धारा 3/25 ए एक्ट थाना ट्रोनििकासिटी गा0वाद

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा ग्राम गढी में हुई सनसनीखेज हत्या के हत्यारोपी

गिरफ्तार:— दिनांक 02.05.2019 को ग्राम गढी में दोपहर 1 बजे कल्लू नामक व्यक्ति द्वारा अपनी मां कुसुम के ललकारने पर राजू पुत्र ओम प्रकाश के घर में घुसकर निर्ममता पूर्वक चाकू से वार किया और वह जान बचाने के लिए घर से बाहर निकला तो गली में करीब 200 मी0 तक दौड़ाकर चाकू से वार करता रहा, इस बीच राजू जान बचाने के लिए बचाओ-बचाओ की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी भयवश सामने नहीं आया अन्ततः चाकू से आईचोटो के कारण निढाल होकर गिर गया। तथा कतिपय ग्रामीणों द्वारा नजदीकी वरदान अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहा पर राजू की मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मृतक की पत्नी पूजा द्वारा मु0अ0सं0

708/19 धारा 302 भादवि अभियुक्त कल्लू व उसकी मां कुसुम के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। अभियुक्तगणों की तलाश में लगातार 4 टीमों सम्भावित स्थाना पर दबिश देते हुए गिरफ्तारी का प्रयास करती रही।

आज दिनांक 08.05.19 को थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा मोरटा चौकी क्षेत्र के गढी गांव में हुयी सनसनीखेज हत्या में वांछित अभियुक्त हनीश उर्फ कल्लू एवं महिला कुसुम को मुखबिर की सूचना पर कचहरी परिसर के सामने से समय करीब 11:00 बजे गिरफ्तार किया गया है।

घटना /पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त कल्लू से पूछताछ के दौरान बताया गया कि वह मृतक राजू की पुत्री से प्यार करता था, और शादी करना चाहता था, राजू इस शादी का विरोध करता था और अपनी पुत्री का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था, इस बात से क्षुब्ध होकर कल्लू राजू को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। करीब 2 माह पहले फिलपकार्ट से ऑर्डर करके 1 चाकू मंगाया और लगातार राजू को मारने की ताक में रहने लगा इस योजना में इसकी मां कुसुम भी उकसाती रहती थी, अभियुक्त कल्लू ने मौका देखकर दिनांक 02.05.2019 की दोपहर ग्राम गढी में जब राजू का दरवाजा खुला हुआ था, तो राजू के घरमें घुसकर चाकू से वार किया जब जान बचाने के लिए बाहर भागा तो गली में दिनदहाड़े दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी थी, तथा हत्या करने के उपरांत सिकरोड गेट के पास वाल्मीकि मंदिर के पीछे अपने रक्तरचित कपड़े व घटना में प्रयुक्त चाकू छिपा दिया एवं फरार हो गया घटना में प्रयुक्त चाकू कल्लू ने फिलपकार्ट से मंगाया था। तथा पुलिस से बचने के लिए जगह-जगह भागता रहा। न्यायालय में आत्मसमर्पण करना चाह रहा था, कि पुलिस ने पकड़ लिया। इस प्रकार अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. हनीष उर्फ कल्लू पुत्र ओमप्रकाश नि0 ग्राम गढी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।
2. कुसुम पत्नी ओमप्रकाश नि0 ग्राम गढी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. अददचाकू (आला कल्ल),
2. रक्तरंजित कपड़े

फ्लैटों/घरों में चोरी करने वाले गिरोह के 02 अन्तःराज्तीय शातिर नकबजन गिरफ्तार, कब्जे चोरी किये गये लाखों रुपयों के सोने व चांदी के जेवरात बरामद:- थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता से उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब दिनांक 08.05.19 को काला पत्थर रोड के पास से 02 शातिर नकबजनोंको चोरी किये सामान व 02 चाकूओं के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।

गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पते:-

- 1:- मौ0 आबिद पुत्र असाउदीन निवासी ग्राम पचैली चौक थाना पिलासी जिला अररिया बिहार, हाल निवासी ग्राम भोवापुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।
- 2:- मौ0 फैसल उर्फ राहुल पुत्र फैयाज निवासी ग्राम पचैली चौक थाना पिलासी जिला अररिया बिहार, हाल निवासी ग्राम भोवापुर थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

अभियुक्त का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के चोर/नकबजन है जो ग्रुप बनाकर एनसीआर व अन्य क्षेत्रों में घूम-घूमकर बन्द पडे मकानों/फ्लैटों/दुकानों की रैकी कर उनको अपना निशाना बनाते है तथा उक्त सोसाईटियों/कालोनियों में प्लम्बर/बिजली मिस्त्री/कोरियर/हाउस किपिंग/गेस्ट आदि बनकर आसानी से बन्द पडे मकानों/फ्लैटों में ताला तोडकर/सैंद लगाकर नकबजनी करके दुकानों/घरों में घूसकर कैश/सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप, कैमरा व अन्य कीमती चोरीकरके फरार हो जाते हैं। अभियुक्त मौ0 फैसल शातिर किस्म का अपराधी है जो पूर्व में वर्ष-2018 में थाना जीआरपी आनन्द विहार दिल्ली से चोरी में जेल जा चुका है तथा अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि नम्बर/दिसम्बर-2018 में जनपद कन्नौज में एक राषन की दुकान का ताला तोडकर चोरी की थी जिसमें काफी कैश व लैपटॉप आदि सामान चोरी किया था तथा दिनांक 26/27.04.2019 की रात्रि में अपने साथियों के साथ मिलकर मौसमपुर कन्नौज में एक सुनार की दुकान से नकबजनी कर सोने चांदी के आभूषण चोरी किये थे जिसके सम्बंध में थाना कोतवाली जिला कन्नौज पुलिस से सम्पर्क स्थापित कर कार्यवाही की जा रही हैं। अभियुक्तगणों से की गयी अन्य चोरियों व गैंग के अन्य साथियों के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही हैं।

चोरी के बरामद सामान का विवरण:-

- 1:-एक सोने की चैन व एक जोडी पायल (अ0स0-2580/2018 धारा 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)
- 2:-01 मंगलपूत्र, 01 चांदी का सिक्का, 01 हाथ घडी (अ0स0-2601/2018 धारा 457/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)
- 3:-970/- रुपये(अ0स0-2723/2018 धारा 457/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)
- 4:-07 बच्चों के हाथ के कडे व 01 चांदी की चम्मच (अ0स0-2811/2018 धारा 454/ 380/411 भादवि थाना इंदिरापुरम)
- 5:-एक जोडी हाथफुल व एक राखी(अ0स0-281/2019 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली कन्नौज)

- 6:—एक चैन सफेद धातू
 7:—03 चैन (पीली धातू)
 8:—01 माला काले व पीले मोतियों की
 9:—02 अंगूठी नगदार
 10:—03 अदद छल्ले
 11:—03 कान के टॉप्स
 12:—01 पैकेट गले की चैन
 13:—01 पैकेट नाक की कील
 14:—01 पैकेट गोल्ड पेंच
 15:—74 सिक्के (01 व 02 रुपये के)

चोरी करने के उपकरण:—

- 1:—02 आलानकब लोहे के
 1:—01 पेचकस
 1:—01 पिटठू बैग

अभियुक्त मौ०फैसल का अपराधिक इतिहास

क०	अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	2580 / 18	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा०बाद
2	2601 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा०बाद
3	2723 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा०बाद
4	2811 / 18	454 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा०बाद
5	281 / 19	380 / 411 भादवि	कोतवाली	कन्नौज

6	05 दिसम्बर-18	379 / 411 भादवि	जीआरपी आनन्द विहार	दिल्ली
7	1021 / 19	411 / 414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
8	1020 / 19	25 / 4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद

अभियुक्त मौ0 आबिद अपराधिक इतिहास

क0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	2580 / 18	380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
2	2601 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
3	2723 / 18	457 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
4	2811 / 18	454 / 380 / 411 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
5	281 / 19	380 / 411 भादवि	कोतवाली	कन्नौज
6	1021 / 19	411 / 414 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद
7	1019 / 19	25 / 4 आर्म्स एक्ट	इंदिरापुरम	गा0बाद

दिनांक 05.05.2019 की रात को पसौंडा गांव युनुस उर्फ दीन्ना की हुई हत्या का खुलासा 01 अभियुक्त मय हत्या में प्रयुक्त बैड शीट (चादर) ,गाडी वेगनार नं0 **DL 8CAJ 3471** सहित गिरफ्तार:— दिनांक 05.05.2019 को पसौंडा क्षेत्र में युनुस उर्फ दिन्ना नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0सं0- 988/19 धारा 302/201/506 भादवि पंजीकृत हुआ था।

उक्त घटना का खुलासा करते हुए थाना साहिबाबाद द्वारा दिनांक 08.05.2019 को पसौंडा पुलिया के पास ई रिक्शा की पार्किंग से अभियुक्त शाहरुख पुत्र नूर मौहम्मद नि0 बसौंडा पट्टी पसौंडा थाना सा0बाद गा0बाद को समय 01.15 बजे मय हत्या में प्रयुक्त बैड शीट, गाडी वेगनार नं0 **DL 8CAJ 3471** सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम व पता :-

1- शाहरुख पुत्र नूर मौहम्मद नि० बसौंडा पट्टी पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

1- गले घोटने में प्रयुक्त बैडशीट (चादर)

2- हत्या में प्रयुक्त वेगनार गाडी नं० DL 8CAJ 3471

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसका मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना पुत्र यामीन कुरैशी नि० पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद से पिछले काफी समय से पैसों का लेन देन चल रहा है । अभियुक्त ने मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से 20% की दर से 1,25,000 रु ब्याज पर लिये थे। जिसका वह पिछले काफी समय से ब्याज दे रहा था । अब अभियुक्त उक्त ब्याज व रुपये के लिए मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना उपरोक्त से मना कर रहा था किन्तु मृतक नहीं माना और कई बार इसी रुपये के लेन देन के ऊपर इन दोनों की आपस में कहा सुनी भी हुई थी । अभियुक्त शाहरुख उपरोक्त ने मृतक से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई । इस काम के लिए उसने अपने दोस्त इमरान पुत्र नसीर नि० पसौंडा थाना सा०बाद गा०बाद के साथ मिलकर दिनांक 05.05.2019 को मृतक युसुफ उर्फ दिन्ना को पसौंडा पुलिया के पास स्थित अपनी ई रिक्शा की पार्किंग में रुपये देने के बहाने से रात में लगभग 09.00 बजे फोन करके बुलाया तथा उसके आने पर उसे पानी में मिलाकर नींद की गोलिया पिला दीं जिससे वह बेहोश हो गया तथा अपने साथी इमरान की मदद से बैडशीट (चादर) से मृतक उपरोक्त को गला घोटकर मार दिया तथा पार्किंग में खड़ी वेगनार गाडी नं०-DL8CAJ3471में मृतक के शव को रखकर सिकन्दरपुर रोड पर खाली जगह में फेंक आये थे । अभियुक्त पर काफी कर्ज होने की वजह से उसने यह हत्या अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर की जिससे उसे रुपया न देना पड़े । हत्या के बाद से ही अभि० शाहरुख का साथी इमरान उपरोक्त फरार है